



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-13032021-225868
CG-DL-W-13032021-225868

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 13—मार्च 19, 2021 (फाल्गुन 22, 1942)
No. 11] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 13—MARCH 19, 2021 (PHALGUNA 22, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	215	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	245	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	759	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	521
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	113
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	521
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	215	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	245	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	759	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	521
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	113
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	521
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जनवरी 2021

सं. 64-प्रेस/2021—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2021 के अवसर पर निम्नलिखित कारागार कार्मिकों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करते हैं:—

1. श्री सजि कुमार जे., असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेन्ट ग्रेड. II, विशेष सब जेल, नेयत्तिकारा, केरल।
2. श्री एम. वि. तोमस, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट, विशेष सब जेल, देविकुलम, केरल।
3. श्री गोपाल प्रसाद ताम्रकर, सुपरिन्टेन्डेन्ट, सेंट्रल जेल जबलपुर, मध्य प्रदेश।
4. श्री रमेशचंद्र आर्य, सुपरिन्टेन्डेन्ट, डिस्ट्रिक्ट जेल देवास, मध्य प्रदेश।
5. श्री महावीर सिंह रावत, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट, डिस्ट्रिक्ट जेल हरदा, मध्य प्रदेश।
6. श्रीमती सुजाता दास, डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर, ढेंकनाल, ओडिशा।
7. श्री देवराज प्रधान, चीफ वार्डर, सर्किल जेल बेरहामपुर, ओडिशा।
8. श्री महेश्वर बेहेरा, वार्डर, डिस्ट्रिक्ट जेल बालासोर, ओडिशा।
9. श्री अरविन्द कुमार सिंह, वरिष्ठ अधीक्षक, केंद्रीय कारागार वाराणसी उत्तर प्रदेश।
10. श्री मो० अकरम खान, अधीक्षक, जिला कारागार फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
11. श्री वेद प्रकाश, असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेन्ट, सेंट्रल जेल, तिहाड़, दिल्ली।
12. श्री शिवली राम मीणा, हेड वार्डर, आई टी ब्रांच, जेल मुख्यालय, तिहाड़, दिल्ली।

ये पुरस्कार, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 के तहत प्रदान किए जाते हैं।

जगन्नाथ श्रीनिवासन
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 65-प्रेस/2021—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2021 के अवसर पर निम्नलिखित कारागार कार्मिकों को सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान करते हैं:—

1. श्री एम. अरुण कुमार, चीफ हेड वार्डर, प्रिसनर्स एग्रीकल्चरल कोलोनी, अनंथापुरम, आंध्र प्रदेश।
2. श्री अरिगला रत्ना राजू, हेड वार्डर, डिस्ट्रिक्ट जेल कुर्नूल, आंध्र प्रदेश।
3. श्री ब्रजेन दास, सुपरिन्टेन्डेन्ट, सेंट्रल जेल डिब्रूगढ़, असम।
4. श्री दीनदयाल ध्रुव, हेड वार्डर, सब जेल बेमेतरा, छत्तीसगढ़।
5. श्रीमती पुष्पलता भगत, वार्डर, सेंट्रल जेल अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़।
6. श्री अजीत सिंह, सब असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल, सेंट्रल जेल अम्बाला, हरियाणा।
7. श्री दिलीप कुमार भान, सेक्शन ऑफिसर, सेंट्रल जेल जम्मू कोटभलवाल, जम्मू और कश्मीर।

8. श्री इकबाल अहमद, वार्डर (एसजी), सेंट्रल जेल जम्मू कोटभलवाल, जम्मू और कश्मीर।
9. श्री बी. सुरेशा, असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेन्ट, सेंट्रल प्रिजन मैसूर, कर्नाटक।
10. श्री एम. एस. कुमार, असिस्टेंट जेलर, सेंट्रल प्रिजन मैसूर, कर्नाटक।
11. श्री आन्टणि के., असिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेन्ट ग्रेड-II, सेंट्रल प्रिजन एवं करेक्शनल होम, तिरुवनंतपुरम, केरल।
12. श्री सामं तड्कय्यन, डीआईजी प्रिजन्स, डी आई जी ऑफिस (सी जेड), विय्यूर, थिरुसूर, केरल।
13. श्री टि. के. जनार्दनन नम्ब्यार, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट, स्पेशल सब जेल, कन्नूर, केरल।
14. श्री अजय बहादुर सिंह, हेड वार्डर, सेंट्रल जेल भोपाल, मध्य प्रदेश।
15. श्री रामपाल सिंह, वार्डर, सेंट्रल जेल भोपाल, मध्य प्रदेश।
16. श्री इकबाल अहमद, हेड वार्डर, जेल मुख्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश।
17. श्री उत्तम विश्वनाथ गावडे, हवलदार, भायखला डिस्ट्रिक्ट प्रिजन, महाराष्ट्र।
18. श्री संतोष बाबला मंचेकर, हवलदार, भायखला डिस्ट्रिक्ट प्रिजन, महाराष्ट्र।
19. श्री बबन नामदेव खंडारे, हवलदार, बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट प्रिजन, महाराष्ट्र।
20. श्री थामसेल लामकाज, चीफ हेड वार्डर, डिस्ट्रिक्ट जेल चन्देल, मणिपुर।
21. श्री वाजखैमयूम चाउबा सिंह, हेड वार्डर, मणिपुर सेंट्रल जेल सजिवा, मणिपुर।
22. श्री डी. रमेश, वार्डर, सर्किल जेल ब्रह्मपुर, ओडिशा।
23. श्री भगवान प्रधान, वार्डर, सर्किल जेल ब्रह्मपुर, ओडिशा।
24. श्री गोविन्द सिंह, अधीक्षक ग्रेड-II, जिला कारागृह जयपुर, राजस्थान।
25. श्री अजीत सिंह, उप कारापाल, उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर, राजस्थान।
26. श्री छोटू सिंह, प्रहरी, महानिदेशालय कारागार, जयपुर, राजस्थान।
27. श्री निम छिरिड भुटिया, सब जेलर, स्टेट सेंट्रल प्रिजन, रोंगयेक, सिक्किम।
28. श्री एम. सक्तिवेल, डिप्टी जेलर, सेंट्रल प्रिजन, कोयम्बतूर, तमिलनाडु।
29. श्री आर. जोसेफ अन्टोनी, ग्रेड-I वार्डर, सेंट्रल प्रिजन, पलायमकोट्टई, तमिलनाडु।
30. श्री वी. चन्द्राया, चीफ हेड वार्डर, प्रिजनर्स एग्रीकल्चरल कॉलोनी, चेरलापल्ली, तेलंगाना।
31. श्री गदाम सोमसकर रेड्डी, चीफ हेड वार्डर, स्पेशल सब जेल, जगत्याल, तेलंगाना।
32. श्रीमती जि. डैनम्मा, चीफ हेड वार्डर, सेंट्रल प्रिजन, वारंगल, तेलंगाना।
33. श्री विधुदत्त पाण्डेय, अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
34. श्री आनन्द कुमार, हेड जेल वार्डर, डिस्ट्रिक्ट जेल, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
35. श्री अमल कर्मकार, हेड वार्डर, प्रेसीडेंसी करेक्शनल होम, अलीपुर, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।
36. श्री रमेश पासवान, हेड वार्डर, बरुईपुर सेंट्रल करेक्शनल होम, बरुईपुर, पश्चिम बंगाल।
37. श्री उत्तम साहा, वार्डर, बर्द्धमान सेंट्रल करेक्शनल होम, बर्द्धमान, पश्चिम बंगाल।
38. श्री हरी प्रसाद, हेड वार्डर, सेंट्रल जेल संख्या. 7, तिहाड़, दिल्ली।
39. श्री धर्मवीर, हेड वार्डर, मंडोली जेल संख्या. 11, दिल्ली।

ये पुरस्कार, सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 के तहत प्रदान किए जाते हैं।

जगन्नाथ श्रीनिवासन
विशेष कार्य अधिकारी

सं. 66-प्रेस/2021—राष्ट्रपति, गणतंत्र दिवस, 2021 के अवसर पर निम्नलिखित कारागार कार्मिक को शौर्य के लिए सुधारात्मक पदक प्रदान करते हैं:—

स्व. श्री सुखदास स्वामी, प्रहरी, उप कारागृह नोहर, राजस्थान, (मरणोपरांत)।

ये पुरस्कार, शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक प्रदान किए जाने को शासित करने वाले नियमों के नियम 4 के तहत प्रदान किए जाते हैं।

जगन्नाथ श्रीनिवासन
विशेष कार्य अधिकारी

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2021

सं. EDITRA-RP21/2/2020-Rajbhasha Prabhasha-RSS—राज्य सभा के माननीय सभापति ने 06 जनवरी, 2021 से राज्य सभा सचिवालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया है। समिति का कार्यकाल, इसके कृत्य और गठन आदि निम्नानुसार हैं:—

शासकीय सदस्य

1. श्री हरिवंश, माननीय उपसभापति, राज्य सभा - उपाध्यक्ष (माननीय सभापति की अनुपस्थिति में समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।)

अशासकीय सदस्य

राज्य सभा के सदस्य

2. डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे
3. श्री नीरज शेखर
4. श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा
5. श्री प्रसन्न आचार्य
6. डा. के. केशव राव
7. प्रो. राम गोपाल यादव
8. श्री राम नाथ ठाकुर
9. श्रीमती झरना दास बैद्य
10. प्रो. मनोज कुमार झा
11. श्री बीरेन्द्र प्रसाद वैश्य
12. (रिक्त)

संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य

13. श्रीमती कान्ता कर्दम
14. सुश्री सरोज पाण्डेय

केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद के प्रतिनिधि

15. (रिक्त)

अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ के प्रतिनिधि

16. डा. गिरीश गांधी

अन्य शासकीय सदस्य

17. श्री देश दीपक वर्मा, महासचिव, राज्य सभा
18. डा. पी. पी. के. रामाचार्युलु, सचिव, राज्य सभा सचिवालय
19. श्री जगदीश कुमार, अपर सचिव (एम.ए.), राज्य सभा सचिवालय
20. श्री के. एस. सी. एस. वी. पी. गांधी, अपर सचिव, राज्य सभा सचिवालय
21. श्री मुकुल पांडे, विशेष कार्याधिकारी, राज्य सभा सचिवालय
22. डा. (श्री) सुमीत जैरथ, सचिव, राजभाषा विभाग, भारत सरकार
23. श्री प्रदीप चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव (क्यू), राज्य सभा सचिवालय
24. डा. (श्रीमती) मीनाक्षी जौली, संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, भारत सरकार

श्री एम. वेंकैया नायडु, माननीय सभापति, राज्य सभा, समिति के अध्यक्ष हैं।

2. कार्य

समिति का कार्य सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के बारे में राज्य सभा सचिवालय को सलाह देना होगा। एक कलैन्डर वर्ष में समिति की कम से कम दो बैठकें होंगी।

3. कार्यकाल

पुनर्गठित समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए होगा, बशर्ते कि :-

- (क) राज्य सभा के सदस्य, जो समिति के सदस्य हैं, राज्य सभा का सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।
- (ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक वे उन पदों पर हैं, जिनके कारण वह समिति के सदस्य हैं।
- (ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र अथवा मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किए गए सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष के कार्यकाल की अवशिष्ट अवधि के लिए होगा।

4. सामान्य

राज्य सभा सचिवालय के राजभाषा अनुभाग के प्रभारी संयुक्त सचिव समिति की बैठकों का समन्वय करेंगे तथा राज्य सभा सचिवालय का राजभाषा अनुभाग, समिति को सचिवालयिक सहायता प्रदान करेगा।

5. यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अशासकीय सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन संख्या II/20034/4/86-रा.भा. (क-2) में अंतर्विष्ट दिशा-निर्देशों के अनुरूप भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा-संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

संजय कुमार खुर्सीजा
निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, 26th January 2021

No. 64-Pres/2021—The President is pleased to award the President's Correctional Service Medal for Distinguished Service to the following prison personnel on the occasion of Republic Day 2021:—

1. Shri Saji Kumar J., Assistant Superintendent Gr.II, Special Sub Jail, Neyyattinkara, Kerala.
2. Shri M.V. Thomas, Deputy Superintendent, Special Sub Jail, Devikulam, Kerala.
3. Shri Gopal Prasad Tamrakar, Superintendent, Central Jail, Jabalpur, Madhya Pradesh.
4. Shri Ramesh Chandra Arya, Superintendent, District Jail, Dewas, Madhya Pradesh.
5. Shri Mahavir Singh Rawat, Deputy Superintendent, District Jail, Harda, Madhya Pradesh.
6. Smt. Sujata Das, District Probation Officer, Dhenkanal, Odisha.
7. Shri Debaraj Pradhan, Chief Warder, Circle Jail, Berhampur, Odisha.
8. Shri Maheswar Behera, Warder, District Jail, Balasore, Odisha.
9. Shri Arvind Kumar Singh, Senior Superintendent, Central Jail, Varanasi, Uttar Pradesh.
10. Shri Mohd. Akram Khan, Superintendent, District Jail, Firozabad, Uttar Pradesh.
11. Shri Ved Prakash, Assistant Superintendent, Central Jail No. 1, Tihar, New Delhi.
12. Shri Shivli Ram Meena, Head Warder, IT Branch, Prison Headquarters, Tihar, New Delhi.

These awards are made under Rule 4 of the Rules governing the grant of Correctional Service Medal for Distinguished Service.

JAGANNATH SRINIVASAN
Officer on Special Duty

No. 65-Pres/2021—The President is pleased to award the Correctional Service Medal for Meritorious Service to the following prison personnel on the occasion of Republic Day 2021:—

1. Shri M. Arun Kumar, Chief Head Warder, Prisoners' Agricultural Colony, Ananthapuramu, Andhra Pradesh.
2. Shri Arigela Ratna Raju, Head Warder, District Jail, Kurnool, Andhra Pradesh.
3. Shri Brajen Das, Superintendent, Central Jail, Dibrugarh, Assam.
4. Shri Deendayal Dhruw, Head Warder, Sub Jail, Bemetara, Chhattisgarh.
5. Smt. Pushplata Bhagat, Warder, Central Jail, Ambikapur, Chhattisgarh.
6. Shri Ajit Singh, Sub Assistant Superintendent Jail, Central Jail, Ambala, Haryana.
7. Shri Dilip Kumar Bhan, Section Officer, Central Jail Jammu Kothbhalwal, Jammu & Kashmir.
8. Shri Iqbal Ahmed, Warder (SG), Central Jail Jammu Kothbhalwal, Jammu & Kashmir.
9. Shri B. Suresha, Assistant Superintendent, Central Prison Mysuru, Karnataka.
10. Shri M.S. Kumar, Assistant Jailor, Central Prison, Mysuru, Karnataka.
11. Shri Antony K., Assistant Superintendent Gr.II, Central Prison & Correctional Home, Thiruvananthapuram, Kerala.
12. Shri Sam Thankayyan, DIG of Prisons, DIG Office (CZ), Viyyur, Thrissur, Kerala.
13. Shri T.K. Janardhanan Nambiar, Deputy Superintendent, Special Sub Jail, Kannur, Kerala.
14. Shri Ajay Bahadur Singh, Head Warder, Central Jail, Bhopal, Madhya Pradesh.
15. Shri Rampal Singh, Warder, Central Jail, Bhopal, Madhya Pradesh.
16. Shri Iqbal Ahmed, Head Warder, Jail Headquarters Bhopal, Madhya Pradesh.
17. Shri Uttam Vishwanath Gawde, Havildar, Byculla District Prison, Maharashtra.
18. Shri Santosh Babla Manchekar, Havildar, Byculla District Prison, Maharashtra.
19. Shri Baban Namdev Khandare, Havildar, Buldana District Prison, Maharashtra.

20. Shri Thamsel Lamkang, Chief Head Warder, District Jail, Chandel, Manipur.
21. Shri W. Chaoba Singh, Head Warder, Manipur Central Jail, Sajiwa, Manipur.
22. Shri D. Ramesh, Warder, Circle Jail, Berhampur, Odisha.
23. Shri Bhagaban Pradhan, Warder, Circle Jail, Berhampur, Odisha.
24. Shri Govind Singh, Superintendent Gr. II, District Jail, Jaipur, Rajasthan.
25. Shri Ajeet Singh, Deputy Jailor, High Security Jail, Ajmer, Rajasthan.
26. Shri Chotu Singh, Warder, Director General Prison Jaipur, Rajasthan.
27. Shri Nim Tshering Bhutia, Sub Jailor, State Central Prison, Rongyek, Sikkim.
28. Shri M. Sakthivel, Deputy Jailor, Central Prison, Coimbatore, Tamil Nadu.
29. Shri R. Joseph Antony, Grade I Warder, Central Prison, Palayamcottai, Tamil Nadu.
30. Shri V Chandraiah, Chief Head Warder, Prisoner's Agricultural Colony, Cherlapalli, Medchal District, Telangana.
31. Shri Gaddam Somasekhar Reddy, Chief Head Warder, Special Sub Jagtial, Telangana.
32. Smt. G. Dynamma, Chief Head Warder, Central Prison, Warangal, Telangana.
33. Shri Bidhu Dutt Pandey, Superintendent, District Jail, Meerut, Uttar Pradesh.
34. Shri Anand Kumar, Head Jail Warder, District Jail, Jaunpur, Uttar Pradesh.
35. Shri Amal Karmakar, Head Warder, Presidency Correctional Home, Alipore, Kolkata, West Bengal.
36. Shri Ramesh Paswan, Head Warder, Baruiapur Central Correctional Home, Baruiapur, West Bengal.
37. Shri Uttam Saha, Warder, Burdwan Central Correctional Home, Burdwan, Purba Bardhaman, West Bengal.
38. Shri Hari Prasad, Head Warder, Central Jail No. 7, Tihar, New Delhi.
39. Shri Dharamvir, Head Warder, Mandoli Jail No. 11, New Delhi.

These awards are made under Rule 4 of the Rules governing the grant of Correctional Service Medal for Meritorious Service.

JAGANNATH SRINIVASAN
Officer on Special Duty

No. 66-Pres/2021-The President is pleased to award the Correctional Service Medal for Gallantry to the following prison personnel on the occasion of Republic Day 2021:—

Late Shri Sukhdas Swami, Warder, Sub Jail, Nohar, Rajasthan, (Posthumously).

These awards are made under Rule 4 of the Rules governing the grant of Correctional Service Medal for Gallantry.

JAGANNATH SRINIVASAN
Officer on Special Duty

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi, the 9th March 2021

No. EDITRA-RP21/2/2020-Rajbhasha Prabhag-RSS—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha is pleased to reconstitute Hindi Salahkar Samiti for the Rajya Sabha Secretariat with effect from the 06 January, 2021. The tenure of the Samiti, its functions and composition etc. are given hereunder:—

OFFICIAL MEMBER

1. Shri Harivansh, Hon'ble Deputy Chairman, Rajya Sabha - Vice-Chairman (Will act as the Chairman of the Samiti in the absence of Hon'ble chairman)

NON-OFFICIAL MEMBERS

MEMBERS OF RAJYA SABHA

2. Dr. Vinay P. Sahasrabudhe
3. Shri Neeraj Shekhar
4. Shri Deepender Singh Hooda
5. Shri Prasanna Acharya

6. Dr. K. Keshava Rao
7. Prof. Ram Gopal Yadav
8. Shri Ram Nath Thakur
9. Smt. Jharna Das Baidya
10. Prof. Manoj Kumar Jha
11. Shri Birendra Prasad Baishya
12. (Vacant)

MEMBERS OF THE COMMITTEE OF PARLIAMENT ON OFFICIAL LANGUAGE

13. Smt. Kanta Kardam
14. Ms. Saroj Pandey

REPRESENTATIVE OF KENDRIYA SACHIVALAYA HINDI PARISHAD

15. (Vacant)

REPRESENTATIVE OF AKHIL BHARTIYA HINDI SANSTHA SANGH

16. Dr. Girish Gandhi

OTHER OFFICIAL MEMBERS

17. Shri Desh Deepak Verma, Secretary-General, Rajya Sabha
18. Dr. P. P. K. Ramacharyulu, Secretary, Rajya Sabha Secretariat
19. Shri Jagdish Kumar, Additional Secretary (MA), Rajya Sabha Secretariat
20. Shri K. S. C. S. V. P. Gandhi, Additional Secretary, Rajya Sabha Secretariat
21. Shri Mukul Pande, OSD, Rajya Sabha Secretariat
22. Dr. (Shri) Sumeet Jerath, Secretary, Department of Official Language, Government of India
23. Shri Pradeep Chaturvedi, Joint Secretary (Q), Rajya Sabha Secretariat
24. Dr. (Smt.) Meenakshi Jolly, Joint Secretary, Department of Official Language, Government of India

Shri M. Venkaiah Naidu, Hon'ble Chairman, Rajya Sabha is the Chairman of the Samiti.

2. Functions

The functions of the Samiti will be to advise the Rajya Sabha Secretariat regarding progressive use of Hindi in official work. At least two meetings of the Samiti may be held in a calendar year.

3. Tenure

The term of the reconstituted Samiti will be three years from the date of formation provided that:—

- (a) Members of Rajya Sabha who are the members of the Samiti shall cease to be members as soon as they cease to be Members of Rajya Sabha.
- (b) Ex-officio Members of the Samiti shall continue as Members as long as they hold the office by virtue of which they are Members of the Samiti.
- (c) If a vacancy arises, on the Samiti due to resignation or death of a Member, the Member appointed in that capacity shall hold the office for the residual period of the tenure of three years.

4. General

Joint Secretary holding the charge of Official Language Section of Rajya Sabha Secretariat will co-ordinate the meetings of the Samiti and the Rajbhasha Anubhag of the Rajya Sabha Secretariat will provide secretarial assistance to the Samiti.

5. Travelling and other allowances

The non-official members will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance for attending the meetings of the Samiti at the prescribed rates as amended from time to time by the Government of India and instructions contained in O.M. No.II/20034/4/86-O.L.(A-2) dated the 22nd January, 1987 of the Department of Official Language.

SANJAY KUMAR KHURSIJA
Director